

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय), कोर्ट सं०-01,
महाराजगंज ।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-704 / 2026

राजू राजभर बनाम उ०प्र० राज्य

15.06.2026

जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुआ। पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के पूर्व ही, बल न दिये जाने का कथन किया गया और इस आशय का भी पृष्ठांकन उनके द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर किया गया है।

अतः आवेदक की ओर से बल न दिये जाने के कारण उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये योग्य है और तदनुसार निरस्त किया जाता है।

(शैलेन्द्र वर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश
(त्वरित न्यायालय संख्या-1)
महाराजगंज ।